२२.२.२१	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगवाये जाने के बाद भी न तो अभिभाषक अपीलांट और न ही स्वयं अपीलांट उपस्थित आया। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर, नम्बर से कम की जावेर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर